राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 277/2019

कुलदीप सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निदेशक तकनीकी शिक्षा, डब्ल्यू–6, गौरव पथ, रेसिडेंसी रोड़, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.09.2019
आदेश की दिनांक : 21.05.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में क्लर्क ग्रेड–2 के पद पर आर. सी. खैतान राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय, गांधी नगर, जयपुर में कार्यरत है। तकनीकी विभाग ने कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 12.04.2017 (अनुलग्नक–1) को वरिष्ठता सूची जारी की गई तथा उपरोक्त सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित है। चार अभ्यर्थियों प्रेम सिंह, सुरीश खैर, श्रीमती मंजुमलता सक्सेना और श्रीमती सविता गुप्ता को पारिवारिक समस्याओं के आधार पर उनकी पदोन्नति छोड़ने के लिए आदेश दिनांक 06.02.2017 (अनुलग्नक–2) द्वारा आवेदन दिया गया। वर्तमान अपील में वरिष्ठता सूची दिनांक 12.04.2017 के तहत वर्ष 2016–17 की रिक्ति में कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2017 के तहत वरिष्ठ सहायक के पद पर 14 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई तथा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 16.08.2017 के आदेश पारित होने के पश्चात तीन अभ्यर्थियों अर्थात् श्रीमती सरज मालव (क्रमांक–1), श्री भूपेन्द्र शर्मा (क्रमांक–7) तथा श्री सत्येन्द्र सिंह यादव (क्रमांक–13) को उनकी पारिवारिक समस्याओं के कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया तथा इस सबंध में दिनांक 29.09.2018 के आदेश के तहत उपरोक्त तीनों अभ्यर्थियों की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई पदोन्नति निरस्त कर आदेश दिनांक 16.08.2017 के तहत प्रत्यर्थी विभाग 14 कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई और आदेश दिनांक 29.09.2018 के अनुसार तीन कर्मचारियों पहले ही अपनी पदोन्नति परित्याग करने कारण अपीलार्थी का नाम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी दिनांक 12.04.2017 की वरिष्ठता सूची में अगला होना चाहिए और इसलिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति देने का अनुरोध किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के आधार पर प्राचार्य आर.सी. खेतान पॉलोटेक्निक कॉलेज ने आवश्यक अनुपालन के लिए निदेशक, तकनीकी शिक्षा को दिनांक 03.10.2017 (अनुलग्नक–6) को एवं उसके बाद दिनांक 23.10.2017 को एक पत्र भेजा गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.10.2017 (अनुलग्नक–7) को प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए अनुरोध किया तथा उसके बाद दिनांक 21.11.2017 एवं दिनांक 19.12.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया जबकि अपीलार्थी उपर्युक्त पदोन्नति के लिए पूर्णतः पात्र है। अपीलार्थी ने दिनांक 28.11.2018 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कानूनी नोटिस प्रस्तुत किया, लेकिन आज दिनांक तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान करने एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ दिलाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय विद्वान अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2016–17 की कनिष्ठ सहायक पद से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति पश्चात निदेशालय के समसंख्यक आदेश एफ. 15(15)तशिनि/ई–1/सी–2/13217 दिनांक 16.08.2017 द्वारा 14 कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक पद पर पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। जिसमें तीन कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति परित्याग करने से हुए रिक्त पदों के विरूद्ध वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति करने के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि तीन कार्मिकों द्वारा क्रमशः दिनांक 21.08.2017, 23.08.2017 एवं दिनांक 29.08.2017 को पदोन्नति परित्याग किया गया एवं वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी. 151700951 दिनांक 14.09.2017 द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग का केडर रिव्यू किया गया। जिससे वरिष्ठ सहायक के 23 कार्मिक अधिक्य हो गये, जिन्हे भविष्य में पदोन्नति/सेवानिवृति से पद रिक्त होने पर पदों को कनिष्ठ सहायक में समायोजित किया जाना था। अतः वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ सहायक की डी.पी.सी. नहीं हो सकी। जिस कारण अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति नहीं दी जा सकी। वर्ष 2016–17 की डीपीसी में पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण सूची (Review and Revision List) नहीं बनाने एवं पदोन्नति परित्याग से दिनांक 29.08.2017 को रिक्त हुए तीन पदों के विरूद्ध अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। वर्ष 2016–17 की कनिष्ठ

सहायक पद से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति पश्चात निदेशालय के समसंख्यक आदेश एफ. 15(15)तशिनि/ई–1/सी–2/13217 दिनांक 16.08.2017 द्वारा 14 कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक पद पर पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। जिसमें तीन कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति परित्याग करने से हुए रिक्त पदों के विरूद्ध वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति परित्याग करने एवं वित्त व्यय–1 विभाग की आई.डी. 151700951 दिनांक 14.09.2017 द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के केडर को रिव्यू करने से नियमानुसार वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को कनिष्ठ सहायक में समायोजित करने के बावजूद वरिष्ठ सहायक के 23 पदों पर अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। जिनकों प्रशासनिक विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ1(14)त.शि./9–ा दिनांक 19.09.2017 द्वारा वित्त विभाग द्वारा मंत्रालियक संवर्ग के केडर को रिव्यू करने के दृष्टिगत वरिष्ठ सहायक के 23 पदों पर अधिक कर्मचारी कार्यरत होने तथा इनके भविष्य में सेवानिवृत/पदोन्नति से पद रिक्त होने पर, कनिष्ठ सहायक पद में समायोजित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। तदनुसार पदोन्नति परित्याग करने वाले तीन कार्मिकों से रिक्त हुए पदों पर पदोन्नति दी जानी संभव नहीं है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर 14 कार्मिकों की पदोन्नति की गई। और उस में से 3 कार्मिकों द्वारा पदोन्नति परित्याग किए जाने के कारण वरिष्ठ सहायक के उपलब्ध हुए 3 रिक्त पदों पर वर्ष 2016–17 में अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति दिए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी पदोन्नति वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने बाद में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों के उसी पदोन्नति वर्ष में डीपीसी का आयोजन कर पदोन्नति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं? कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में जारी किया गया है। उसके प्रासंगिक अंश नीचे लिखे जा रहे हैः–

4. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की आवृतिः–

4.1 प्रत्येक संवर्ग के पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में सम्पन्न की जाए।

4.2 एक संवर्ग/संवर्ग के पदो के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में केवल एक ही बार सम्पादित की जानी है।

6 रिक्तियों के अवधारण का समय बिंदूः–

6.1 रिक्तियों का अवधारण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की वास्तविक रिक्तियों को

मिलाते हुये किया जाना है जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की वास्तविक एवं सम्भावित उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित हों।

6.2 रिक्तियों का अवधारण हालांकि एक अप्रैल की स्थिति में करना है किंतु इसे एक अप्रैल अथवा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में किसी भी समय कर सकते है। प्रशासनिक कारणों से इसे आगामी वर्षों के लिये टाला भी जा सकता है।

6.3 पूरे विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की रिक्तियों का अवधारण वर्ष में केवल एक बार ही किया जाए। रिक्तियों में होने वाले ऐसे अन्तर को जो रिक्तियों के अवधारणा के पश्चात एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व प्राप्त होती है, उसकी गणना विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक के समय की जायेगी (Variation to be accounted for at the of meeting)

7.5.6 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो जाने के उपरान्त उपलब्ध हुई रिक्ति आगामी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के लिये ही गणना योग्य होगी लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन होने तक उपलब्ध हुई रिक्ति इसी डीपीसी वर्ष में गणना योग्य है।

उक्त से स्पष्ट है कि किसी पदोन्नति वर्ष में एक बार ही डीपीसी आयोजित किए जाने का प्रावधान है और इसी पदोन्नति वर्ष में डीपीसी की बैठक आयोजित होने के पश्चात उपलब्ध होने वाले पदों को आगामी विभागीय पदोन्नति वर्ष में गणना की जाकर पदोन्नति की जायेगी। एक ही पदोन्नति वर्ष में एक से अधिक बार पदोन्नति किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत वर्ष 2016–17 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले 3 कार्मिकों के पदोन्नति परित्याग करने से उपलब्ध होने वाली वरिष्ठ सहायक की 3 रिक्यिों के संबंध में पदोन्नति की कार्यवाही आगामी पदोन्नति में की जानी संभव है।

हम उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य